(भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

संख्या 31011/10/85-स्था0(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई, 1988

अधिसूचना

का0आ0 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये नियम निम्नलिखित सभी व्यक्तियों को लागू होंगे-

(i) जो सिविल सेवाओं और ऐसे पदों पर, जिनके अंतर्गत संघ के मामलों से संबंधित रक्षा सेवाओं में सिविलियन सरकारी सेवक है, नियुक्त किए जाते हैं;

(ii) जो किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजित हैं और जो केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(iii) जो संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं :

(iv) जो उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजित किए जाते हैं ।

(4) ये नियम निम्नलिखित व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे:-

(क) ऐसे सरकारी सेवक जो पूर्ण कालिक नियोजन में नहीं हैं;

(ख) ऐसे व्यक्ति जो आकस्मिक और दैनिक मजदूरी वाले पदों पर नियोजित हैं;

(ग) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिकता निधि से संदाय किया जाता है;

(घ) रेल सेवक;

(ङ) सशस्त्र बलों के सदस्य;

.....2/-

(च) विदेशों में भारतीय मिशनों में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्ति; और

(छ) ऐसे व्यक्ति जो छुट्टी के दौरान या अन्यथा किसी भी रूप में उपलब्ध यात्रा रियायत के पात्र हैं ।

2. कर्मचारियों के कतिपय प्रवर्गों के बारे में विशेष उपबंध:-

(1) नियम 1 के उपनियम (3) के खण्ड (ii), (iii) और (iv) में उल्लिखित प्रवर्गों के व्यक्तियों की दशा में, छुट्टी यात्रा रियायत, केन्द्रीय सरकार के अधीन एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर लेने पर ही अनुज्ञेय होगी और यह तब दी जाएगी जब समुचित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित कर दिया जाता है कि संबद्ध कर्मचारी के स्वनगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की दशा में केन्द्रीय सरकार के अधीन कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए उसके द्वारा सेवा करते रहने की संभावना है और भारत में किसी भी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की दशा में कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए उसके द्वारा सेवा करते रहने की संभावना है । इस अवधि की गणना उसके केन्द्रीय सरकार के अधीन पद ग्रहण करने की तारीख से की जाएगी ।

(2) संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों की दशा में जहां आरंभिक संविदा एक वर्ष के लिए है किन्तु जिसे बाद में बढ़ा दिया जाता है : छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन के लिए संविदा की कुल कालावधि को हिसाब में लिया जाएगा ।

(3) ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात् बिना किसी व्यवधान के, पुनर्नियोजित किया जाता है, पुनर्नियोजित सेवा की अवधि को, छुट्टी यात्रा रियायत और पुनर्नियोजित अवधि के लिए अनुज्ञात रियायत के प्रयोजन के लिए पूर्व सेवा के साथ निरंतर सेवा माना जाएगा, परन्तु यह तब जबकि छुट्टी यात्रा रियायत, पुनर्नियोजित अधिकारी को तब भी अनुज्ञात होती यदि वह सेवानिवृत्त न हुआ होता किन्तु सेवारत अधिकारी के रूप में निरंतर सेवा में बना रहता ।

दृष्टांत: यदि, किसी अधिकारी ने अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व किसी चार वर्षीय ब्लाक वर्ष की बाबत भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए रियायत का उपभोग किया है और वह बिना किसी व्यवधान के पुनर्नियोजित किया जाता है, वह तब तक इस रियायत का लाभ नहीं उठा सकता जब तक कि वह विशिष्ट चार वर्षीय ब्लाक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता ।

3. व्याप्ति- छुट्टी यात्रा रियायत के अंतर्गत स्वयं सरकारी सेवक और उसका कुटुम्ब आएगा ।

...3/-

4. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "भारत में किसी स्थान" के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित कोई स्थान है, चाहे वह मुख्य भूमि पर या समुद्र पार स्थित है;

(ख) "नियंत्रक अधिकारी" से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो अनुपूरक नियम (9) के अधीन उस रूप में घोषित किया गया है;

(ग) "अनुशासनिक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 2 के खण्ड (छ) में उसका है;

(घ) "कुटुम्ब" से अनुपूरक नियम 2(8) में यथा-परिभाषित "कुटुम्ब" अभिप्रेत है;

(ङ) "स्वनगर" से ऐसा नगर, ग्राम या कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है, जो सरकारी सेवक द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है और नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है;

(च) "लघुतम सीधे मार्ग" का वही अर्थ होगा जो अनुपूरक नियम 30 और उसके अधीन समय समय पर जारी किए गए आदेशों में है ।

5. स्वनगर में परिवर्तन- एक बार घोषित और नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्वीकृत स्वनगर अंतिम माना जाएगा । आपवादिक परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष या यदि सरकारी सेवक स्वयं विभागाध्यक्ष है तो, प्रशासनिक मंत्रालय, ऐसी घोषणा में कोई परिवर्तन प्राधिकृत कर सकेगी परन्तु यह कि, ऐसा कोई परिवर्तन किसी सरकारी सेवक की सेवा के दौरान एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा ।

6. छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन भारत में किसी स्थान के लिए यात्रा के स्थान की घोषणा- जब सरकारी सेवक या ऐसे सरकारी सेवक के कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए रियायत का उपभोग करने की प्रस्थापना है, तब सरकारी सेवक यात्रा के आशयित स्थान की नियंत्रक अधिकारी को पहले ही घोषणा करेगा । यात्रा का घोषित स्थान नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन से, यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व परिवर्तित किया जा सकेगा । यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात् स्थान असाधारण परिस्थितियों में ही परिवर्तित किया जा सकेगा, जहां यह सिद्ध कर दिया जाता है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व परिवर्तन के लिए आवेदन सरकारी सेवक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण नहीं किया जा सका अन्यथा नहीं । यह शिथिलीकरण यथास्थिति, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग या विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है ।

.....4/-

7. छुट्टी यात्रा रियायत की ग्राह्यता-

(1) छुट्टी यात्रा रियायत नियम 1 के उपनियम (3) के खण्ड (i) और (iii) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्तियों को केवल तब अनुज्ञेय होगी, यदि उन्होंने, यथास्थिति, उनके द्वारा या उनके कुटुम्ब द्वारा रियायत का उपभोग करने के लिए की गई यात्रा की तारीख को केन्द्रीय सरकार के अधीन एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है ।

(2) छुट्टी यात्रा रियायत किसी छुट्टी की अवधि के दौरान जिसके अंतर्गत आकस्मिक छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी है, अनुज्ञेय होगी ।

8. छुट्टी यात्रा रियायत के प्रकार-

(क) स्वनगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत, सरकारी सेवक के मुख्यालय और उसके स्वनगर के बीच दूरी को विचार में लाए बिना दो कलेण्डर वर्षों के किसी ब्लाक में जैसे 1986-87, 1988-89 और उससे आगे के लिए एक बार अनुज्ञेय होगी ।

(ख) भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत सरकारी सेवक के मुख्यालय से यात्रा के स्थान की दूरी को विचार में लाए बिना चार कलेण्डर वर्षों के किसी ब्लाक में जैसे, 1986-89, 1990-93 और उससे आगे के लिए एक बार अनुज्ञेय होगी:

परन्तु यह कि, किसी ऐसे सरकारी सेवक की दशा में जिसके लिए स्वनगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत अनुज्ञेय है, भारत में किसी स्थान के लिए उसके द्वारा उपभोग की गई छुट्टी यात्रा रियायत यात्रा के प्रारंभ के समय, उसको स्वनगर के लिए उपलब्ध छुट्टी यात्रा रियायत के बदले और उसके मद्दे समायोजित की जाएगी;

(ग) ऐसा कोई सरकारी सेवक, जिसका कुटुम्ब उससे दूर उसके स्वनगर में रहता है तो, इस स्कीम के अधीन सभी रियायतों के बदले, जिसके अंतर्गत चार वर्षों के किसी ब्लाक के लिए एक बार भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत भी है, जो उसको और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को अन्यथा अनुज्ञेय होती, केवल अपने लिए प्रत्येक वर्ष स्वनगर जाने का चयन कर सकेगा ।

9. विशिष्ट ब्लाकों वर्षों के मद्दे छुट्टी यात्रा रियायत की गणना-

छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करने वाला कोई सरकारी सेवक और उसके कुटुम्ब के सदस्य, यथास्थिति, दो वर्षों या चार वर्षों के किसी ब्लाक के दौरान विभिन्न अवधियों में विभिन्न समूहों में यात्रा कर सकेंगे । इस प्रकार उपभोग की गई रियायत की गणना दो वर्षों या चार वर्षों के उस ब्लाक वर्ष

...5/-

§2§ <u>सड़क द्वारा यात्रा</u>- §क§ ऐसे स्थानों के बीच की दूरी जो रेल द्वारा जुड़े नहीं हैं यात्राओं के खर्च के लिए सरकार की सहायता, सरकारी सेवकों को निम्नलिखित के अनुसार अनुज्ञेय होगी:

§i§ जहां कोई ऐसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जिसके यान नियत स्थानों के बीच नियमित अंतरालों पर और किराए की नियत दरों पर चलाए जाते हैं, विद्यमान हैं, वहां सहायता ऐसी प्रणाली द्वारा, परिवहन प्रणाली की समुचित श्रेणी की जगह के लिए प्रभारित वास्तविक भाड़ा है ।

टिप्पण:- समुचित श्रेणी से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं:

§क§ ऐसे अधिकारी जो रेल में प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा करने के हकदार हैं ।	किसी भी प्रकार की बस द्वारा जिसके अंतर्गत सुपर डिलक्स, डिलक्स, एक्सप्रेस आदि हैं, किन्तु जिसके अंतर्गत वातानुकूलित बस नहीं है ।
§ख§ अन्य अधिकारी	केवल साधारण बस द्वारा । एक्सप्रेस बसों में की गई यात्रा के लिए दावे भी तब स्वीकार किए जा सकेंगे, जब साधारण बसों में स्थानों §सीट्स§ की अनुपलब्धता के कारण यात्रा वास्तव में ऐसी बस द्वारा की गई है ।

§ii§ जहां पूर्वोक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विद्यमान नहीं है, वहां सहायता स्थानांतरण पर की गई यात्रा की दशा में के अनुसार विनियमित की जाएगी ।

§iii§ उपनियम §1§ या उपनियम §2§ के खण्ड §i§ और §ii§ में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई सरकारी सेवक, सड़क द्वारा यात्रा कर रहा है, पब्लिक सेक्टर के पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम और अन्य सरकारी या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित परिवहन सेवाओं द्वारा भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए चालित किसी बस, वैन या अन्य यानों में कोई सीट या सीटें लेता है, वहां उसकी प्रतिपूर्ति यदि वह यात्रा रेल द्वारा लघुतम सीधे मार्ग से उस श्रेणी द्वारा, जिसका वह हकदार है की गई होती, वास्तविक भाड़ा प्रभार या यात्रा के घोषित स्थान तक यात्रा पर प्रतिपूर्ति योग्य रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, की जाएगी । किसी निजी कार §अपनी, उधार ली गई या भाड़े पर ली गई§ या किसी बस, वैन, या किसी प्राइवेट आपरेटर के स्वामित्वधीन अन्य यान द्वारा की गई यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय नहीं होगी ।

के मद्दे की जाएगी जिसके भीतर बाहर जाने की यात्रा प्रारंभ हुई, चाहे वापसी यात्रा उस दो वर्ष या चार वर्ष के ब्लाक की समाप्ति पर की गई हो । यह नियम 10 के निबंधनों के अनुसार अग्रनीत छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करने के लिए लागू होगा ।

10. छुट्टी यात्रा रियायत का अग्रनयन:

कोई ऐसा सरकारी सेवक जो दो वर्षों या चार वर्षों के किसी विशिष्ट ब्लाक में छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करने में असमर्थ रहता है, वह उसका उपभोग दो वर्षों या चार वर्षों के अगले ब्लाक के प्रथम वर्ष के भीतर कर सकेगा । यदि कोई सरकारी सेवक स्वनगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार है तो, वह भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत को चार वर्षों के ब्लाक के लिए केवल तभी अग्रनीत कर सकेगा यदि उसने चार वर्षों के ब्लाक के भीतर दो वर्षों के दूसरे ब्लाक की बाबत स्वनगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत को अग्रनीत कर दिया है ।

11. भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन सरकारी सेवक और उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा यात्रा किए जाने वाला स्थान:

कोई सरकारी सेवक और उसके कुटुम्ब का प्रत्येक सदस्य, चार वर्षों के ब्लाक के दौरान अपनी पसंद के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर सकेंगा । सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि, वे उसी स्थान की यात्रा करें जिसकी यात्रा स्वयं सरकारी सेवक द्वारा उसी ब्लाक वर्ष के दौरान पहले किसी समय की गई है ।

12. हकदारी:- (i) रेल द्वारा यात्रा— छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन रेल द्वारा यात्रा के लिए विभिन्न श्रेणियों की वासस्विधा की हकदारी निम्न-लिखित के अनुसार होगी:-

(i) ऐसे सरकारी सेवक जो 2800 रु0 प्रतिमास या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं ।	द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित दो टियर शयनयान/प्रथम श्रेणी
(ii) ऐसे सरकारी सेवक जो 1400 रु0 प्रतिमास और उससे अधिक किन्तु 2800 रु0 प्रतिमास से कम वेतन ले रहे हैं ।	प्रथम श्रेणी/ वातानुकूलित कुर्सी यान
(iii) ऐसे सरकारी सेवक जो 1400रु0 प्रतिमास से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं ।	द्वितीय श्रेणी/ शयनयान

....6/-

ली गई छुट्टियों की अवधि या कुटुम्ब के सदस्यों की पूर्वानुमानित अनुपस्थिति की अवधि तीन मास या 90 दिन से अधिक नहीं है। यदि यह अवधि इस सीमा से अधिक है तो अग्रिम केवल बहिर्गामी यात्रा के लिए लिया जा सकेगा।

(iv) यदि दोनों ओर की यात्रा के लिए पहले ही अग्रिम लिए जाने के पश्चात् अवधि की सीमा 3 मास या 90 दिन की अवधि से अधिक हो जाती है तो, सरकार को अग्रिम की आधी रकम का तुरन्त प्रतिदाय किया जाना चाहिए।

(v) यदि अग्रिम मंजूर किए जाने के 30 दिन के भीतर बहिर्गामी यात्रा प्रारंभ नहीं की जाती है तो, पूर्ण अग्रिम का प्रतिदाय किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसे मामलों में जहां आरक्षण, बहिर्गामी यात्रा की प्रस्तावित तारीख से साठ दिन पहले कराया जा सकता है और तदनुसार अग्रिम मंजूर किया जाता है, वहां सरकारी सेवक को, अग्रिम लेने के दस दिन के भीतर, यात्रा के प्रारंभ की तारीख को विचार में लाए बिना, टिकटें पेश करनी चाहिए।

(vi) जहां सरकारी सेवक द्वारा अग्रिम लिया गया है, वहां यात्रा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा, वापसी यात्रा के पूरा होने के एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी सेवक के ऐसा करने में असफल रहने पर, उससे अग्रिम की संपूर्ण रकम एक मुश्त में तुरन्त वापस करने की अपेक्षा की जाएगी। अग्रिम की किस्तों में वसूली के किसी अनुरोध को ग्रहण नहीं किया जाएगा।

16. <u>छुट्टी यात्रा रियायत का कपटपूर्ण दावा:</u>

(1) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का कपटपूर्ण दावा करने के आरोप पर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने का विनिश्चय किया जाता है, तो ऐसे सरकारी सेवक को तब तक छुट्टी यात्रा रियायत अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता है।

(2) यदि अनुशासनिक कार्यवाही का परिणाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करती है, तो सरकारी सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान पहले से ही विधारित सेटों (सेटों) के अतिरिक्त छुट्टी यात्रा रियायत के दो आगामी संवर्ग अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे। कारणों को लेखबद्ध करके नियंत्रक प्राधिकारी

(3) विमान द्वारा :- सरकारी सेवक, ऐसे स्थानों के बीच जो रेल द्वारा जुड़े नहीं है, जहां कोई यात्रा का अनुकूली साधन या तो उपलब्ध नहीं है या वह अधिक महंगा है वहां, विमान द्वारा यात्रा कर सकेगा ।

(4) भारत राज्य क्षेत्र में ऐसे स्थानों के संबंध में, जो पोत परिवहन सेवा से जुड़े हैं, किसी सरकारी सेवक की पोत द्वारा यात्रा करने की हकदारी स्थानांतरण पर की गई पोत द्वारा यात्रा की दशा में के अनुसार विनियमित की जाएगी ।

(5) ऐसे स्थानों के बीच यात्रा, जो किसी प्रकार के परिवहन साधन से नहीं जुड़े हैं ।

सरकारी सेवक, ऐसे स्थानों के बीच, जो किसी अन्य परिवहन साधन से नहीं जुड़े हैं, की यात्रा के लिए, पशु परिवहन, जैसे टट्टू, हाथी, ऊंट आदि द्वारा यात्रा का उपभोग कर सकेगा । ऐसे मामले में, मील भत्ता उसी दर से अनुज्ञेय होगा, जो स्थानांतरण पर यात्रा के लिए अनुज्ञेय है ।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए "वेतन" से वह वेतन अभिप्रेत होगा, जो मूल नियम, 9(21)(क)(1) में परिभाषित है ।

13. प्रतिपूर्ति:- छुट्टी यात्रा रियायत स्कीम के अधीन प्रतिपूर्ति के अंतर्गत आनुषंगिक व्यय और स्थानीय यात्राओं पर उपगत व्यय नहीं है । यात्रा के व्यय के लिए प्रतिपूर्ति, केवल सीधे टिकट पर लघुतम सीधे मार्ग से स्थल से स्थल तक की गई यात्रा के आधार पर अनुज्ञेय होगी ।

14. दावे का समयहरण : छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन यात्रा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा, यदि कोई अग्रिम नहीं लिया गया है तो, वापसी यात्रा के पूरा होने के पश्चात् तीन मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा । ऐसा करने में असफल रहने पर, दावे का समयहरण हो जाएगा और इस संबंध में कोई शिथिलीकरण अनुज्ञेय नहीं होगा ।

15. अग्रिम की मंजूरी और उसका समायोजन:-

(1) सरकारी सेवकों को, रियायत का उपभोग करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा । ऐसे अग्रिम की रकम, प्रत्येक मामले में, उस प्राक्कलित रकम के, जिसकी सरकार, दोनों ओर की यात्रा के व्यय की बाबत प्रतिपूर्ति करेगी, 4/5 तक सीमित होगी ।

(11) यदि कुटुम्ब सरकारी सेवक से पृथक रूप से यात्रा करता है तो, अग्रिम भी अनुज्ञेय सीमा तक पृथक रूप से लिया जा सकेगा ।

(111) प्रस्थान यात्रा के प्रारम्भ के समय, प्रस्थान और वापसी दोनों यात्राओं के लिए अग्रिम लिया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि, सरकारी सेवक द्वारा

.....8/-

(3) यदि सरकारी सेवक को छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण दावे के आरोप से पूर्णतः विमुक्त किया जाता है, तो उसे भावी ब्लाक वर्षों में अतिरिक्त संवर्ग (संवर्गों) के रूप में पूर्वतर विधारित रियायत का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु ऐसा उसकी अधिवर्षिता की सामान्य तारीख के पूर्व किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए नियम 8 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट स्वनगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत और भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत छुट्टी यात्रा रियायत के दो संवर्ग गठित करेगी ।

17. निर्वचन: यदि इन नियमों के उपबंधों में से किसी के संबंध में कोई संदेह है तो, मामला भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसका विनिश्चय करेगा ।

18. शिथिल करने की शक्ति: इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, जहां सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कठिनाई होती है वहां यथास्थिति वह मंत्रालय या विभाग लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को, उस सीमा तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो मामले को किसी न्यायसंगत और सम्यापूर्ण रीति में निपटाने के लिए आवश्यक समझें अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सहमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

19. व्यावृत्ति: ऐसे सभी विद्यमान अनुदेश, जो इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं, और ऐसे सभी अनुदेश जिनके अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं, जो इन नियमों में विनिर्दिष्टतः नहीं आते हैं, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे संशोधित, उपांतरित या रद्द नहीं कर दिए जाते हैं ।

अ. जयरामन

(ए0 जयरामन)
निदेशक

सेवा में,
प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
माया पुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।